विसिल ब्लोअर पॉलिसी

प्रस्तावना :

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8) / 2005-जीएम द्वारा 14 मई 2010 को निगमित शासन पर सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के आचरण या नैतिकता नीति पर सामान्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए 'विसिल ब्लोअर पॉलिसी' का प्रचार कर सकती है।

2. कंपनी पेशेवर, ईमानदारी, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाने के द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने घटकों के मामलों के संचालन में विश्वास करती है। इस दिशा में, कंपनी ने आचार संहिता ('कोड') अपनाया है, जिसमें सिद्धांत और मानकों को शामिल किया गया है जिसे कंपनी और उसके कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए। "कोड" का कोई भी संभावित उल्लंघन, हालांकि तुच्छ या माना जाता है, क्योंकि यह कंपनी के लिए गंभीर चिंता का मामला होगा। संहिता के उल्लंघन को इंगित करने में कर्मचारियों की भूमिका को कमजोर नहीं किया जा सकता है। कर्मचारियों को उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए "कोड" के अंतर्गत एक प्रावधान है।

3. तदनुसार, कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी की समिति/निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष से संपर्क करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए इस शीस्ट ब्लोअर पॉलिसी (नीति) को तैयार किया गया है।

परिभाषाएं :

4. इस नीति में उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख शर्तों की परिभाषा नीचे दी गई है। यहां परिभाषित नहीं होने वाली पूंजीगत शर्तों का अर्थ "कोड"

क) **"लेखा परीक्षा समिति"** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखा परीक्षा समिति।

ख) **"कर्मचारी"** का मतलब कंपनी के हर कर्मचारी (चाहे वह भारत या विदेश में काम कर रहा हो), कंपनी के रोजगार में निदेशकों सहित।

ग) **"कोड"** का अर्थ है एचएसएल कोड ऑफ बिजनेस आचार और नैतिकता।

घ) **"जांचकर्ता"** का अर्थ उन व्यक्तियों को अधिकृत किया जाता है, जो लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष या निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक)

च) **"संरक्षित प्रकटीकरण"** का अर्थ किसी भी संचार से किया गया है जो सद्भावना से बनाया गया है जो ऐसी जानकारी का खुलासा करता है या दिखाता है जो साक्ष्य अनैतिक या अनुचित गतिविधि का सबूत कर सकते हैं।

छ) **"विषय"** का अर्थ किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी संबंध के दौरान एक संरक्षित प्रकटीकरण या सबूत एकत्र किए जाने के संबंध में है।

ज) **" विसिल ब्लोअर "** का अर्थ है एक कर्मचारी जो इस नीति के तहत एक संरक्षित प्रकटीकरण कर रहा है।

कार्यक्षेत्र :

5. विसिल ब्लोअर की भूमिका विश्वसनीय रिपोर्ट के साथ एक रिपोर्टिंग पार्टी की है। वे आवश्यक नहीं हैं या जांचकर्ताओं या तथ्यों के खोजकर्ता के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, न ही वे किसी उपयुक्त मामले में उचित सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई का निर्धारण करेंगे।

6. विसिल ब्लोअर को किसी भी खोजी गतिविधियों के संचालन में अपने आप पर कार्य नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें ऑडिट समिति / निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष या अन्य जांचकर्ताओं द्वारा अनुरोधित अनुरोधों के अलावा किसी अन्य जांच गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

7. संरक्षित प्रकटीकरण को लेखा परीक्षा समिति/निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष के रूप में जैसा मामला के रूप से उचित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

पात्रता :

8. कंपनी के सभी कर्मचारी पॉलिसी के तहत संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए पात्र हैं। संरक्षित प्रकटीकरण कंपनी से संबंधित मामलों से संबंधित हो सकता है।

अपात्रता :

9. यद्यपि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक विसिल ब्लोअर को किसी भी तरह के अनुचित इलाज से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है, जैसा कि यहां बताया गया है, इस सुरक्षा के किसी भी दुरुपयोग से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क) इस नीति के तहत संरक्षण का मतलब झूठी या फर्जी होने या गलत तरीके से इरादों के साथ झूठी या फर्जी आरोपों से उत्पन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई से नहीं होना चाहिए।

ख) विसिल ब्लोअर, जो किसी भी संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, जो बाद में दुर्भावनापूर्ण या विसिल ब्लोअर के रूप में पाए गए, जो तीन या अधिक संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, जो बाद में बेमतलब, निराधार या सद्भाव से अन्यथा रिपोर्ट किए गए हैं, इस नीति के तहत आगे संरक्षित प्रकटीकरण रिपोर्टिंग से अयोग्य ठहराया जाएगा।

प्रक्रिया :

10. परिचालन प्रबंधन से संबंधित सभी संरक्षित प्रकटीकरण जांच के लिए कंपनी के लेखा परीक्षा समिति/निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए।

11. सभी अन्य संरक्षित प्रकटीकरण के संबंध में, कार्यात्मक निदेशकों और अध्यक्ष के स्तर पर कर्मचारियों से संबंधित लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए, बोर्ड स्तर के नीचे अन्य सभी अधिकारियों को निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) को संबोधित किया जाना चाहिए।

12. लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष/निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के विवरण निम्नानुसार हैं:

डॉ बिजॉय कुमार साहू
प्लॉट नं। 315, बिद्युत मार्ग
शास्त्री नगर, यूनिट –iv
भुवनेश्वर -751001
टेलीफोन: 0674-7100217
फैक्स 0674 -7100222
ई-मेल: bksahoo@jss.in

निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) का पता :
कमोडोर पीएचएम सालिह, भा.नौ (सेवानिवृत्त)
निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक)
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
गांधीग्राम पी.ओ, विशाखपट्टणम – 530005
फोन नंबर 94937921101

13. संरक्षित प्रकटीकरण को अधिमानतः लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए ताकि उठाए गए मुद्दों की स्पष्ट रूप में सुनिश्चित हो और स्पष्ट लिखावट में टाइप किया जाए या लिखा जाए।

14. संरक्षित प्रकटीकरण एक आवरित पत्र के तहत अग्रेषित किया जाना चाहिए जो कि विसिल ब्लोअर की पहचान को सहन करेगा। मामले के अनुसार लेखा परीक्षा समिति / निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के

अध्यक्ष, आवरित पत्र को अलग कर सकते हैं और केवल प्राप्त प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर जांचकर्ताओं को जांच के लिए संरक्षित प्रकटीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं।

15. संरक्षित प्रकटीकरण वास्तविक होना चाहिए और प्रथम दृश्य साक्ष्य / साक्ष्य होना चाहिए, और सट्टा या किसी निष्कर्ष की प्रकृति में नहीं होना चाहिए और इसमें यथासंभव अधिक विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए ताकि चिंता और प्रकृति के उचित निर्धारण की अनुमति मिल सके।

16. बेनामी याचिकाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

जाँच पड़ताल :

17. इस नीति के तहत रिपोर्ट किए गए सभी संरक्षित प्रकटीकरण की जांच पूरी तरह से की जाएगी। कंपनी के लेखा परीक्षा समिति / निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष या सतर्कता विभाग सहित कोई प्राधिकृत व्यक्ति / एजेंसी लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष या निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अधिकार के तहत जांच किया जाएगा।

18. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक (सीपी और पी) अपने विवेक पर जांच के उद्देश्य के लिए किसी भी जांचकर्ता को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।

19. लेखा परीक्षा समिति / निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष द्वारा की गई जांच का निर्णय खुद ही अभियोग नहीं है और इसे तटस्थ तथ्य खोजने की प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा।

20. कानून और जांच की वैध आवश्यकताओं के अनुसार, एक विषय (एस) और विसिल ब्लोअर की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा।

21. सामान्य रूप से औपचारिक जांच के शुरूआती दिनों में आरोपों के लिखित रूप में जानकारी दी जाएगी और जांच के दौरान उनकी जानकारी प्रदान करने के अवसर दिए जाएंगे।

22. जांच के दौरान लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष/निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) या किसी भी जांचकर्ता के साथ सहकारिता करने के लिए विषय (एस) का कर्तव्य होगा कि इस तरह के सहकारण आत्म-अभिशंसन सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी और लागू कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध होंगे।

23. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष / निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक)/जांचकर्ताओं और/या लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों और / या विसिल ब्लोअर अलावा, विषय (एस) को किसी व्यक्ति या अपनी पसंद के व्यक्तियों के साथ परामर्श करने का अधिकार है। जांच के कार्यवाही में उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए विषय (एस) को किसी भी समय अपने स्वयं के खर्च पर सलाह लेने के लिए नि:शुल्क होगा।

24. विषय (एस) की जिम्मेदारी है कि जांच में हस्तक्षेप न करें। साक्ष्य को रोक कर नहीं रखा जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा या साथ छेड़छाड़ की जाएगी, और विषय (एस) द्वारा गवाह को प्रभावित नहीं किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, धमकाया जाएगा।

25. जब तक ऐसा करने के लिए कोई ठोस कारण न हो, तो विषय (एस) को एक जांच रिपोर्ट में निहित सामग्री निष्कर्षों का जवाब देने का अवसर दिया जाएगा। किसी विषय के खिलाफ गलत काम करने का कोई आरोप नहीं माना जाएगा, जब तक कि आरोपों के समर्थन में अच्छा सबूत न हो।

26. विषय (एस) को जांच के नतीजे के बारे में सूचित करने का अधिकार है। यदि आरोप साबित नहीं होते हैं, तो विषय को इस बात से परामर्श किया जाना चाहिए कि जांच परिणामों का सार्वजनिक प्रकटीकरण विषय और कंपनी के सर्वोत्तम हित में होगा या नहीं। हालांकि, कंपनी के हित अन्य के ऊपर प्रबल होगा।

27. जांच सामान्य रूप से संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाता है।

28. किसी भी व्यक्ति को अनियमित मकसद के साथ मुद्दों को उठाने से रोकने के लिए कहा गया है कि कोई 'प्रकटीकरण' जो कहा गया है कि अनैतिक व्यवहार, संदेहास्पद धोखाधड़ी, उल्लंघन आदि को देखने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक पुराना है।

सुरक्षा :

29. इस नीति के तहत एक संरक्षित प्रकटीकरण की सूचना मिलने के बाद किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को विसिल ब्लोअर में नहीं देखा जाएगा।

30. कंपनी, पॉलिसी के रूप में, किसी भी तरह के भेदभाव, उत्पीड़न, उत्पीड़न या किसी अन्य अनुचित रोज़गार अभ्यास की निंदा करती है जिसे व्हाइसल ब्लॉवर के खिलाफ अपनाया जा रहा है। इसलिए, पूरी सुरक्षा को किसी भी अनुचित अभ्यास के खिलाफ किसी भी अनुचित अभ्यास के बदले प्रतिशोध, धमकी या सेवा की समाप्ति / निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, हस्तांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति के अस्वीकृति, या किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार सहित आगे की रक्षात्मक प्रकटीकरण सहित अपने कर्तव्यों / कार्यों को जारी रखने के लिए सीटी ब्लोअर के अधिकार को रोकें कंपनी कठिनाइयों को कम करने के लिए कदम उठाएगी, जो संरक्षित प्रकटीकरण बनाने के परिणामस्वरूप सीटी ब्लोअर का अनुभव हो सकता है।

31. एक विसिल ब्लोअर उपर्युक्त खंड के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को करेगी, जो इस पर जांच करेगा और उचित कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को सिफारिश करेगा।

32. विसिल ब्लोअर की पहचान को कानून के तहत यथासंभव और अनुमति के लिए गोपनीय रखा जाएगा।

33. उक्त जांच में सहायता प्रदान करने वाला कोई अन्य कर्मचारी भी विसिल ब्लोअर के अनुसार उसी हद तक संरक्षित होगा।

अन्वेषक :

34. जांचकर्ताओं को तथ्य खोजने और विश्लेषण के लिए एक प्रक्रिया चलाने की आवश्यकता है। अन्वेषकों को अपने अधिकार प्राप्त करने और लेखा परीक्षा समिति/निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष से प्राधिकृत प्राप्त होगा, जब उनकी जांच के दौरान वे अपने कार्यक्षेत्र और अपनी अन्वेषन के भीतर कार्य करेंगे।

35. जांच में वृद्धि के लिए तकनीकी और अन्य संसाधनों को आवश्यक रूप से तैयार किया जा सकता है। सभी जांचकर्ता वास्तव में और कथित रूप से दोनों ही स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। जांचकर्ताओं का निष्पक्षता, वास्तविकता, पूर्णता, नैतिक व्यवहार और कानूनी और व्यावसायिक मानकों का पालन करने का कर्तव्य है।

36. अन्वेषण समिति या निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) के अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक समीक्षा के बाद ही जांच शुरू की जाएगी, जैसा कि मामला हो सकता है, जो यह स्थापित करता है:-

(क) अनैतिक कार्य एक अनुचित या अनैतिक गतिविधि या आचरण का गठन करती है, और

(ख) आरोप विशेष रूप से जांच की जाने वाली विशेष जानकारी द्वारा समर्थित है या उन मामलों में जहां आरोप विशेष जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि संबंधित मामले प्रबंधन समीक्षा के योग्य हैं। बशर्ते कि ऐसी जांच एक अनुचित या अनैतिक गतिविधि या आचरण की जांच के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

निर्णय :

37. निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) अपनी जांच के बाद, रिपोर्ट, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को सौंपेंगे। यदि कोई जांच निष्कर्ष निकालने के लिए लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष की ओर इशारा करता है कि अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया है, तो लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, अनुशासनिक या सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए, कंपनी के प्रबंधन को सिफारिश करेंगे कि लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ठीक समझ सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि इस नीति के अनुसार जांच के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप विषय के खिलाफ शुरू की गई किसी भी अनुशासनिक या सुधारात्मक कार्रवाई लागू हिशिलि के आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1984 (सीडीए नियमों) का पालन करेगी।

रिपोर्टिंग

38. निदेशक (निगमित योजना एवं कार्मिक) नियमित आधार पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो कि सभी रिपोर्टों के साथ अंतिम रिपोर्ट के बाद उन सभी को संदर्भित किए गए सभी गोपनीय प्रकटीकरण के बारे में बताएंगे, जिनमें जांच के परिणाम, यदि कोई हो, त्रैमासिक आधार पर करेंगे।

रिकॉर्ड्स / दस्तावेजों की अवधारण

39. उपर्युक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से किए गए ऐसे संरक्षित प्रकटीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज 'संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति की तारीख से कम से कम पांच वर्ष तक बनाए रखे जाएंगे, उसके बाद इस जानकारी को नष्ट कर दिया जा सकता है जब तक कि सूचना किसी लंबित या संभावित मुकदमेबाजी, पूछताछ या जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती है, इस मामले में उस मुकदमे की जांच, पूछताछ या जांच की अवधि और इसलिए आवश्यकतानुसार जानकारी बनाए रखी जाएगी।

नीति में संशोधन :

40. कंपनी इस नीति को संपूर्ण या आंशिक रूप में संशोधन या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, कोई कारण बताए बिना किसी भी समय और कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा।

****